तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./859/2003/नागौर मैना बनाम सरजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री भीयाराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 25.10.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, अजमेर पारित निर्णय दिनांक 06–02–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी के खातेदार चूनाराम की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 10–05–1994 प्रार्थी श्रीमती मैना के पक्ष में तहसीलदार, नागौर द्वारा स्वीकृत किया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या–1 ने अपर कलक्टर, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–10–1999 से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–02–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./859/2003/नागौर मैना बनाम सरजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 सरजू ने मांगीलाल को छोड दिया है एवं मांगीलाल के साथ नहीं रह कर अन्यत्र अनैतिक तरीके से जीवन व्यतित करती है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के खातेदार चूनाराम के देहान्त उपरान्त विवादित आराजी प्रार्थी के धारण की है, मांगीलाल जो कि चूनाराम का पुत्र है उसके एवं मैनादेवी के बीच समस्त सम्पत्तियां आपस में विभाजित हो चुकी है एवं यदि कोई विवादित भी है तो वह विवादित मांगीलाल व मैनादेवी के बीच उत्पन्न हो सकता है। अप्रार्थी संख्या–1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही उसे तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 601 को बहाल रखाा जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार चूनाराम के देहान्त उपरान्त विवादित आराजी चूनाराम की बेवा मैना के नाम विरासत के नामान्तरकरण के दर्ज की गयी जबकि मूल खातेदार के एक पुत्र मांगीलाल भी मौजूद था तथा मूल खातेदार के पुत्र मांगीलाल की अप्रार्थी संख्या–1 विवाहिता पत्नी है, जिसे मांगीलाल द्वारा छोड कर किसी अन्य औरत के साथ शादी कर ली। उनका कथन है कि तहसीलदार ने मूल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./859/2003/नागौर मैना बनाम सरजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार के सभी वारिसान की जांच किये बिना विरासत का नामान्तरकरण संख्या 601 तस्दीक किया, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के खातेदार चूनाराम की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 10-05-1994 प्रार्थी श्रीमती मैना के पक्ष में तहसीलदार, नागौर द्वारा स्वीकृत किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मूल खातेदार की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी केवल मात्र एक वारिस श्रीमती मैना बेवा चूनाराम के नाम तथाकथित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जबकि मूल खातेदार का एक पुत्र मांगीलाल भी मौजूद था। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या-1 सरजू मूल खातेदार चूनाराम के पुत्र मांगीलाल की विवाहिता पत्नी होना कथन करती है, जिसे मांगीलाल द्वारा छोडकर किसी अन्य स्त्री से शादी कर ली है तथा अप्रार्थी संख्या-1 ने अपने गुजारे भत्ते हुए धारा 125 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत वाद मुंसिफ मजिस्टेट, नागौर के समक्ष किया जो स्वीकार होकर गुजारा भत्ता देने के आदेश होना अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में गुजारा भत्ता देने से बेचने के लिए विवादित आराजी के विरासत का नामान्तरकरण अकेले मैना बेवा चूनाराम के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./859/2003/नागौर मैना बनाम सरजू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तस्दीक करवाया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर अप्रार्थी संख्या–1 पीडित पक्षकार है, जिसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अप्रार्थी संख्या–1 की अपील को स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ पुनः तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य